

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी-कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 07/2018 आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये मुकेश कुमार, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

कमलेश कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति मीना निवासी पापडदा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री राजेश कुमार मीना, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 06.01.2023



संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना, नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा दिनांक 22.2.2017 को जब्त 29 कटटे गेहूँ जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 संख्या 33/2017 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित की बहस सुनी गई।

थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान ने दिनांक 22.2.2017 को थाना नांगल राजावतान में उपस्थित होकर कमलेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार पापडदा के विरुद्ध गेहूँ की कालाबाजारी के संबंध में अभियोग सं. 33/2017 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पंजीबद्ध कराया था। उक्त प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार आरोपी राशन डीलर श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री ख्यालीराम मीना निवासी पापडदा थाना पापडदा जिला दौसा के कब्जे से कालाबाजारी का खाध पदार्थ गेहूँ से भरे कुल 29 कटटे जब्त किये गये थे। उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी राशन डीलर श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री ख्यालीराम मीना निवासी पापडदा थाना पापडदा जिला दौसा के विरुद्ध अपराध साबित पाये जाने पर मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट नंबर 178/2017 द्वारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 14.9.2017 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जस्ट्रेट दौसा में पेश की गई थी जिसका प्रकरण संख्या 1499/2017 है जो कि वर्तमान में भी विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा माल गेहूँ में कीड़े लगने के कारण गेहूँ खराब हो गया है। गेहूँ को कीड़ों और चींटियों तथा चूहों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा माल गेहूँ के शीघ्र निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, दौसा

निरन्तर...2 पर

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान द्वारा 33/2017 मुल्जिम कमलेश कुमार मीणा, उचित मूल्य दुकानदार पापडदा द्वारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा गेहूँ के निस्तारण के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, दौसा के आदेश दिनांक 4.10.2022 की अनुपालना में गठित जांच कमेटी द्वारा मौके पर गेहूँ का दिनांक 18.10.2022 को थाना नांगल राजावतान पर भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त जांच मौके पर थाना नांगल राजावतान के मालखाने में जब्तशुदा गेहूँ 50 किलोग्राम के 26 कटटे जूट के व. खुले गेहूँ के साथ प्लास्टिक के 13 कटटे पाये गये जिनमें थोड़ी-2 मात्रा में गेहूँ होना पाया गया। चयन कमेटी द्वारा रैंडम चयन करके 5-6 कटटों को खोलकर देखने पर पाया गया कि कीड़े एवं चींटियों के द्वारा खाने के कारण गेहूँ का खोखला होना पाया गया व गेहूँ के खोखला होने के कारण आटा की भस्म कटटों में भरा हुआ पाया गया तथा खुले में फर्श पर पड़े गेहूँ भी खोखले एवं बीदना होना पाया गया। जांच कमेटी द्वारा उक्त गेहूँ को खाने योग्य नहीं माना गया व कमेटी के सदस्यों द्वारा थाना नांगल राजावतान के मालखाने में रखे गेहूँ का रैंडम चयन कर एक कटटे को खोलकर एक नमूना सर्वेलाईन्स के लिए लिया जाकर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में जांच हेतु भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर द्वारा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में थाना नांगल राजावतान से एकत्रित नमूना की रिपोर्ट सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर से प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त गेहूँ ना तो बाजार में बेचे जाने योग्य है और ना ही मनुष्य के खाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 22.2.2017 को जिला रसद अधिकारी, दौसा के निर्देशानुसार थानाधिकारी थाना थाना परिसर नांगल राजावतान में रखी गेहूँ से भरी पिक अप सं0 आरजे 14 जीडी 6937 में 61 कटटे हाथ से सिले हुए के गेहूँ की जांच में वाहन चालक द्वारा उक्त जब्त गेहूँ उचित मूल्य दुकानदार पापडदा श्री कमलेश मीणा का होना तथा बिक्री हेतु ओम इण्डस्ट्रीज दौसा ले जाना बताया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान द्वारा गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानते हुए जब्त किये गये है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी राशन डीलर श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा निवासी पापडदा थाना पापडदा जिला दौसा के विरुद्ध अपराध साबित पाये जाने पर मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट नंबर 178/2017 धारा 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 14.9.2017 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में पेश की गई थी। प्रकरण माननीय न्यायालय में अब भी विचाराधीन है। अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ को राशन डीलर्स द्वारा ही वितरित किये जाते है। राशन डीलर के अलावा किसी स्थान पर इस तरह की सामग्री नहीं बेची जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त जब्त गेहूँ अवैध तरह से विक्रय किये जाने की पूरी पूरी आंशका है। मौके पर दौराने पूछताछ गेहूँ के संबंध में उपस्थित शख्स द्वारा गेहूँ के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त गेहूँ कालाबाजारी की दृष्टि से अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से बाजार में विक्रय के लिए ले जाया जा रहा था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों के विपरीत है। मौके पर फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा तैयार किया जाकर माल जब्त कर सुपुर्दगी में दिया गया और इस संबंध में मुकदमा नम्बर 33/2017 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात व हालात से यह स्पष्ट है कि उक्त कृत्य कालाबाजारी की दृष्टि से किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत धारा 3/7 का दण्डनीय

निरन्तर...3 पर



जिला कलक्टर, दौसा

अपराध किया है। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में थाना नांगल राजावतान से एकत्रित नमूना की रिपोर्ट सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर से प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त गेहूँ ना तो बाजार में बेचे जाने योग्य और ना ही मनुष्य के खाने योग्य माना गया है। हम थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 29 कट्टे गेहूँ मय बारदाना राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा गेहूँ मय बारदाना का कमेटी बनाई जाकर जिसमें एक लेखा सेवा का सदस्य जो उपखंड मुख्यालय नांगल राजावतान में पदस्थापित हो, नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा